दिनांक 24.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल 12000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 29.01.2026 को पीडित राहुल चौधरी पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा अपने फोन से धोखाधडी से UPI के माध्यम से कुल 12000 /- रूपये निकल जाने की सूचना थाना नकुड़ पर आकर दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत सं0 23101260018887 दर्ज करायी गयी थी ।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में *पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नुकड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित की धनराशी होल्ड करायी गयी थी ।* ***थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित की शत-प्रतिशत धनराशि कुल 12000/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस*** *करायी गयी।*

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
2. *कम्पयूटर आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
3. *म0कां0 195 सोनम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.02.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **मौ0 जाबिद उर्फ जावेद पुत्र हनीफ निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को मोहण्ड के रास्ते पर राजाजी पार्क के जंगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा देशी 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 32/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 जाबिद उर्फ जावेद पुत्र हनीफ निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *01 तमंचा देशी 315 बोर*
- *02 जिन्दा कारतूस 315 बोर*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 85/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 204/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 215/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 32/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 130 मोहित कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2198 सचिन कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।*

दिनांक:24.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.02.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***दुष्यन्त राणा पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद संख्या 7637/25 मु0अ0सं0 485/18 धारा 60/60 आब0 अधि0) को उसके ग्राम रायपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम पता:-

दुष्यन्त राणा पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. *श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा, सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा, सहारनपुर ।*
3. *है0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा,सहारनपुर ।*
4. *का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा,सहारनपुर ।*

दिनांकः 24.02.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 158 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.02.2026 को चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र शमीम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को ग्राम मिर्जापुर से ग्राम रायपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 158 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुस्कीम पुत्र शमीम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 158 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मुकेश सोलकी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 श्री 37 अमरदीप कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर ।
3. का0 1365 मजीत कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: **24.02.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में **गठित पुलिस टीम/एण्टीरोमियो** *टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त* ***आरिफ पुत्र इकराम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर*** *को अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ पुत्र इकराम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर ।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. *उ0नि0 उ0नि0 उस्मान थाना मिर्जापुर सहारनपुर ।*
2. *का0 1666 पकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः **24.02.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में ***गठित पुलिस टीम/एण्टीरोमियो*** *टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त* ***आजम पुत्र यामीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर*** *को अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आजम पुत्र यामीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर ।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 उ0नि0 नरेन्द्र सागर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

2. हे0का0 1318 दीपक कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 24.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को शान्ति भंग में किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति भंग करने वाले अभियुक्तगण पर जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पर तैनात उ0नि0 महेश चन्द व का0 1802 बिट्टू जाँच मोहल्ला सडकपार पहुचे तो देखा कि काफी भीड इकट्ठा है तथा अभि0 तनवीर पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर वादी मुकदमा आसमा के साथ मु0अ0स0 100/26 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस लिखाने को लेकर आमदा फसाद हो रहा है। हम पुलिस वालो व मौके पर मौजूद लोगों द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माना तथा और अधिक उत्तेजित होकर आमदा फसाद होने लगा। शान्ति भंग होने की आशंका को देखते हुए अभियुक्त तनवीर पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला सडकपार थाना बेहट जनपद सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

तनवीर पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 1802 बिट्टू थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक आज 24.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **कबीर उर्फ कुबैर पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 रामनगर पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को शांति धाम रोड नानू माजरा पुलिया से पहले आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर **मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3/25 आर्म एक्ट** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कबीर उर्फ कुबैर पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 रामनगर पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 अवैध देशी तमन्चा .315 बोर*
- *01 जिन्दा कारतूस .315 बोर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *म0उ0नि0 अन्नू परिहार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 1967 अनुज कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
4. *म0का0 2123 सरिता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः **24.02.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष 03 माह का कारावास व 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 24.03.2018 को वादी व0उ0नि0 विरेश पाल गिरि थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त युसुफ पुत्र बख्शी बंजारा नि0 बदरिया थाना को0 देहात जिला हरदोई द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना व नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद होने की सूचना पर मु0 अ0 सं0- 34/18 धारा 307 भादवि व मु0 अ0 सं0 36/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम युसुफ उपरोक्त थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग क्रमश: एसटी नं0-397/2018, 399/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 24.02.2026 को अभियुक्त युसुफ पुत्र बख्शी बंजारा निवासी बदरिया थाना को0 देहात जिला हरदोई को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0- 34/18 धारा 307 भादवि व मु0 अ0 सं0 36/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 04 वर्ष 03 माह का कारावास व 5 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री संदीप पुण्डीर
विवेचक-निरीक्षक श्री राजकुमार तोमर
पैरोकार-है0का0 1091 हिमांशु कुमार थाना को0 नगर सहारनपुर।